राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2015/ दिनांकः

मुख्य परीक्षा 2015 के परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2015 के परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता हैः-

1.(अ) बी.ए. (पास/आनर्स), बी.ए. (एडिशनल) तथा बी.पी.ए./विज्यूअल आर्टस्/बी.म्यूजिक परीक्षाओं हेतु नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी वेबसाईट **www.univexam.com** एवं **www.univraj.org** से परीक्षा फार्म भरें। परीक्षा आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए **हेल्पलाईन नं. 8559912178** एवं **79** पर सम्पर्क करें।

(ब) बी.एस.सी., बी.कॉम (पास व ऑनर्स), बी.एस.सी. (होम साईंस, बायोटेक), बी.एस.सी. (एडिशनल), बी.बी.ए. पार्ट-II/III के पूर्वछात्र(वार्षिक पद्धति), बी.सी.ए., एड-ऑन कोर्सेज तथा मॉडर्न यूरोपियन लेंग्वेजेज (सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा) आदि परीक्षाओं हेतु नियमित, पूर्व छात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी वेबसाईट **www.univexam.in** से फार्म भरें। परीक्षा आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए **टोल फ्री हेल्पलाईन नं. 18002000297 तथा मो. नं. 8503087986** पर सम्पर्क करें।

(स) परीक्षा आवेदन फार्म भरने की तिथियॉं निम्न प्रकार हैंः-

बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रू. 100/- सहित
06.10.2014 से 20.10.2014 तक	25.10.2014 से 31.10.2014 तक

2. समस्त स्नातकोत्तर (प्रीवियस एवं फाईनल-वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी समस्त एकवर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान/डी.सी.डबल्यू.ए. (पार्ट-II/III), बी.पी.ई.एड, बी.एच.एम.सी.टी. आदि परीक्षाओं हेतु वेबसाईट **www.univexam.in** से फार्म भरें। परीक्षा आवेदन सम्बन्धी जानकारी के लिए **टोल फ्री हेल्पलाईन नं. 18002000297** पर सम्पर्क करें।

परीक्षा आवेदन फार्म भरने की तिथियॉं इस प्रकार हैः-

बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रू. 100/- सहित
09.10.2014 से 27.10.2014 तक	28.10.2014 से 03.11.2014 तक

नोटः- **दिनांक 21.10.2014 से 24.10.2014 तक दीपावली अवकाश के कारण वेबसाईटें बन्द रहेंगी।**

3. **परीक्षा शुल्कः- समस्त नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का निर्धारित परीक्षा शुल्क** ई-मित्र/CSC कियोस्क के माध्यम से जमा होगा, परीक्षा शुल्क जमा करवाने का निर्धारित शुल्क रू. 6/- प्रति परीक्षार्थी द्वारा देय होगा, जो ई-मित्र/CSC कियोस्क को अदा किया जायेगा। **परीक्षार्थी शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दो प्रतियों के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित शुल्क जमा कराने की तिथि से अगले दो कार्य दिवस तक सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करावें।** पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म को उसी महाविद्यालय में जमा करायें जहॉं वे नियमित (Regular) परीक्षार्थी के रूप में अनुतीर्ण घोषित हुए थे। **जयपुर शहर के स्वयंपाठी परीक्षर्थियों के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की सुविधा विश्वविद्यालय छात्र सेवा एवं सूचना केन्द्र पर भी उपलब्ध रहेगी। यह केन्द्र राजपत्रित अवकाश के अलावा अन्य अवकाश पर खुला रहेगा।**

(I) ई-मित्र/CSC पर परीक्षा शुल्क नगद जमा करवा सकते हैं अथवा क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंक के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क उनकी वेबसाईट **www.emitra.gov.in** पर जमा करवा सकते है।

(II) ई-मित्र/CSC पर जमा शुल्क का विवरण (टोकन नं., जमा राशि व दिनांक) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दोनों प्रति में निर्धारित स्थान पर अंकित कर परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करें तथा हार्ड कॉपी के साथ ई-मित्र से प्राप्त मूल रसीद संलग्न करें।

(III) आवेदन कर्ता चाहे तो अपना परीक्षा फार्म ई-मित्र/CSC पर भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं। इसके लिए सम्बन्धित कियोस्क को उनका निर्धारित शुल्क परीक्षार्थी द्वारा अलग से देय होगा।

ई-मित्र के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नगद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।

4. परीक्षा आवेदन-पत्र भरने हेतु दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं नियमित/पूर्वछात्र/स्वयंपाठी परीक्षार्थियों हेतु महाविद्यालयों की सूची आदि की सूचना वेबसाईट **www.uniraj.ac.in, www.univexam.com, www.univraj.org** एवं **www.univexam.in** पर उपलब्ध है।

नोटः- विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मो पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाऐगें।

Sd/—

परीक्षा नियंत्रक

कृ.पृ.उ. ..2

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2015/ 8908 - 9007 दिनांक: 30/9/14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. (i) समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स एवं प्राचार्य, संघठक/सम्बद्ध महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करलें कि परीक्षार्थी ने हार्ड कॉपी की दोनों प्रतियों पर ई-मित्र का टोकन नं. अंकित कर दिया है एवं परीक्षा शुल्क रसीद की मूल प्रति संलग्न कर दी है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा निर्देश में अंकित है जो वेबसाईट पर उपलब्ध है। **कृपया पत्र व्यवहार में परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड़ अवश्यक रूप से अंकित करें।**

(ii) **सम्बन्धित महाविद्यालयों से परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय प्रतिनिधि द्वारा निम्न तिथियों में संकलित किये जायेगें:-**

अ. स्नातक - बिना विलम्ब शुल्क वाले परीक्षा फार्म - दिनांक 29.10.2014 को एवं

ब. स्नातक - विलम्ब शुल्क सहित एवं स्नातकोत्तर के समस्त परीक्षा फार्म - दिनांक 10.11.2014 को।

अतः महाविद्यालय में संकलित परीक्षा फार्म मय ई-मित्र पर जमा शुल्क की प्रति, टोकन नं., कक्षा एवं संकाय वार सूची सहित संलग्न कर अनिवार्य रूप से निर्धारित तिथियों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि को देने का श्रम करें। उसके पश्चात् परीक्षा फार्म अगले तीन कार्य दिवस में दिनांक 14.11.2014 तक महाविद्यालय को ही विश्वविद्यालय में जमा कराना होगा, जिसका यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(iii) **विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यो द्वारा परीक्षा फार्मो के साथ संलग्न करना होगा।**

(iv) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है यह सुनिश्चित कर लें।

(v) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रू. 8/- प्रति छात्र संबंधित महाविद्यालयों को देय होगा।

(vi) सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उस कक्षा की पात्रता पूर्ण करता है तथा उसके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से सही भरी जा चुकी हैं। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये अनिवार्य विषयों के नाम, प्राप्त अंकों का विवरण, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन-पत्र निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करें। **ई-मित्र के द्वारा देय रसीद की फोटो प्रति के पीछे जमाकर्ता के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मोहर अंकित कर परीक्षार्थी को रसीद के रूप में प्रदान करें, छात्र इस रसीद को सबूत के तोर पर सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि आवेदन-पत्र की कम्प्यूटर प्रति ऊपर रहे तथा उसके नीचे कार्यालय प्रति मय आवश्यक अकंतालिकाएँ आदि संलग्न हो।** उपरोक्त कारणों से परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त होने की स्थिति में सम्बन्धित महाविद्यालय ही जिम्मेवार होगा।

(vii) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध एवं संघटक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के स्थायी दूरभाष, मोबाईल नं., ई-मेल आईडी एवं फेक्स नं., महाविद्यालय कोड़ लिखित में विश्वविद्यालय को भेजे।

2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों की सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. निदेशक, छात्र सेवा एवं परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करें कि परीक्षा-2015 हेतु ई-मित्र द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का भी श्रम करें।
5. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि MOU की शर्तानुसार परीक्षा शुल्क राशि जमा होने के T+3 दिवस में राजस्थान विश्वविद्यालय के खाते में जमा होना सुनिश्चित करने का श्रम करें।
6. सचिव, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
7. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. समस्त उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी परीक्षा संचालन व गोपनीय अनुभाग/शैक्षणिक -द्वितीय/सेलर। व ।।, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड़ शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के जिलों में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने एवं समाचार के रूप में भी प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

30.9.2014.

सहायक कुलसचिव (परीक्षा -IV)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2015/ 9009 दिनांक: 30/9/14

मुख्य परीक्षा 2015 के लिए ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरवाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

राजस्थान विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2015 के लिए ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भर कर डाउनलॉड करने के पश्चात परीक्षा शुल्क E-Mitra में जमा कराने की प्रक्रिया दिनांक 06.10.2014 से आरम्भ होगी।

दिनांक 21.10.2014 से 24.10.2014 तक दीपावली अवकाश के कारण वेबसाईटें बन्द रहेगी।

ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र डाउनलॉड करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश :-

छात्र सर्वप्रथम वेबसाईट www.univexam.com, www.univraj.org एवं www.univexam.in पर visit करें ।

1. परीक्षार्थी जिस कक्षा के लिए आवेदन करना चाहता है, सर्वप्रथम उस कक्षा से सम्बन्धित (**UG Part-I and PG Previous** तथा **UG Part-II & III and PG Final Year**) Button पर Press करें।

स्नातक पार्ट-प्रथम एवं पी.जी. पूर्वार्द्ध के लिए आवेदन (UG Part-I and PG Previous) :-

2. स्नातक पार्ट प्रथम, पी.जी पूर्वार्द्ध तथा अन्य कक्षाओं हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर तकनीकी विधि से अपना फोटो तथा हस्ताक्षर स्केन कर परीक्षा आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर Attach करने के पश्चात् प्रिन्ट बटन पर क्लिक करके दो प्रति में परीक्षा आवेदन-पत्र को प्रिन्ट करें।
3. **परीक्षा शुल्क:- समस्त नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क** ई-मित्र/CSC कियोस्क के माध्यम से जमा होगा। परीक्षा शुल्क जमा करवाने का निर्धारित शुल्क रू. 6/- परीक्षार्थी द्वारा ई-मित्र/CSC कियोस्क को देय होगा। शुल्क की रसीद की मूल प्रति को परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर अन्य आवश्यक दस्तावेजो सहित शुल्क जमा कराने की तिथि से अगले दो कार्य दिवस तक सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करावे। पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म को उसी महाविद्यालय में जमा करायें जहाँ वे नियमित (Regular) परीक्षार्थी के रूप में अनुतीर्ण घोषित हुए थे। **जयपुर शहर के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की सुविधा विश्वविद्यालय छात्र सेवा एवं सूचना केन्द्र पर भी उपलब्ध रहेगी।**
   - (i) ई-मित्र/CSC पर परीक्षा शुल्क नगद जमा करवा सकते हैं अथवा क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंक के माध्यम से भी परीक्षा शुल्क वेबसाईट **www.emitra.gov.in** पर जमा करवा सकते है।
   - (ii) ई-मित्र/CSC पर जमा शुल्क का विवरण (टोकन नं., जमा राशि व दिनांक) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दोनों प्रतियों में निर्धारित स्थान पर अंकित कर परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करे तथा हार्ड कॉपी के साथ ई-मित्र से प्राप्त मूल रसीद भी संलग्न करें।
   - (iii) आवेदन कर्त्ता चाहे तो अपना परीक्षा फार्म ई-मित्र/CSC पर भी ऑनलाईन भरवा सकते हैं। इसके लिए सम्बन्धित कियोस्क को उनका निर्धारित शुल्क परीक्षार्थी द्वारा अलग से देय होगा।

   ई-मित्र के अलावा अन्य किसी माध्यम (जैसे नगद/बैंक ड्राफ्ट/चैक/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा जमा कराया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
4. (i) ऐसे छात्र जिन्होनें अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें।
   - (ii) राजस्थान बोर्ड/राजस्थान विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका संलग्न करें।
   - (iii) बी.सी.ए. पार्ट-प्रथम छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र महाविद्यालय के माध्यम से भरवाये जायेगें। अतः उन्हें मूल अंकतालिका व प्रवजन प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ भेजना अनिवार्य है। इनके अभाव में परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेगें।
5. जो छात्र पूर्व में ही विश्वविद्यालय में नामांकित है अर्थात स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उतरार्द्ध के लिए आवेदन करते है, उन्हें अपनी उतीर्ण कक्षा की अकंतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
6. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने सम्बन्धित सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
7. फ्रेश परीक्षा फार्म भरने वाले छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिका के अनुसार भरे तथा परीक्षा 2014 के अनुक्रमांक से डाउनलोड करने वाले विद्यार्थियों के उक्त विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आवश्यक सुधार स्वयं करें।
8. विश्वविद्यालय अधिनियम 176 के अनुसार उन्ही स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने की अनुमति दी जायेगी जो विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के जिला - जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, सीकर एवं झुन्झुनू में 2½ वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हों। इस आशय का प्रमाण पत्र परीक्षा फार्म में यथास्थान प्रमाणित कराना आवश्यक है। **यह प्रमाण-पत्र उन्ही परीक्षार्थियों को देना है जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन प्रथम बार होना है।**

कृ.पृ.उ. ..2

9. विश्वविद्यालय अधिनियम 168-ए के अनुसार विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा एक वर्ष में आयोजित होने वाली दो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता।

10. विश्वविद्यालय अधिनियम 193-सी के अनुसार परीक्षार्थी किसी बकाया विषय को एक से अधिक बार में उत्तीर्ण करता है तो स्नातक पार्ट-III में श्रेणी निर्धारण हेतु उस बकाया विषय के न्यूनतम अंक जोड़े जायेंगे।

विश्वविद्यालय में पूर्व से नामांकित छात्र अर्थात् स्नातक पार्ट-प्रथम के पूर्व छात्र तथा पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के लिए आवेदन (UG Part-I Ex Student and Part II/III and PG Final) : -

11. जो छात्र गत वर्ष इस विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वे सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् Proceed कर गत वर्ष दी गई मुख्य परीक्षा 2014 का अनुक्रमांक (Roll No) Enter करें। Roll No. Enter करने के पश्चात् जो परीक्षा आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें Name in Hindi, Date of Birth, Postal Address, Pin Code No., Mobile number, email address आदि प्रविष्टियों को भरकर Print पर क्लिक कर दो प्रतियों में Print प्राप्त करें। Printout की समस्त प्रविष्टियों की परीक्षार्थी अपने स्तर पर जाँच कर संबन्धित महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन-पत्र एवं जमा परीक्षा शुल्क की मूल प्रति जमा करावे। उन्हें पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा की अकंतालिका की फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। **इस फार्म में नाम, पिता का नाम, माता के नाम, एनरोलमेन्ट आदि में कोई त्रुटि हो तो छात्र स्वयं ठीक करें।** जिन छात्रों के फार्म किसी कारणवश रोल नं. से उपलब्ध नहीं हो सकें, **वे फ्रेश फार्म भरें एवं सम्बन्धित दस्तावेजो की फोटो प्रति संलग्न करें।**

12. नियमित/पूर्वछात्र/स्वयंपाठी परीक्षार्थी ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र की प्रति का प्रिन्ट प्राप्त करने के पश्चात् ई-मित्र के माध्यम से निश्चित समय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराऐगें। परीक्षा 2015 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, स्पोर्टस बोर्ड शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार है:-

I- FEE PAYABLE FOR UG COURSES EXAM. 2015 WITH SINGAL FEE:-

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student	Non-Collegiate
1.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA (Ex)/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-I and Add-On Certificate (If already enrolled)	760/-	910/-	1190/-
2.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-I Enrl. 100/- Elg. 100/- (If not enrolled)	960/-	---	1390/-
3.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA (Ex)/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-II and Add-On Diploma	800/-	950/-	1230/-
4.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-II (With due paper of Pt-I)	1090/-	1310/-	1790/-
5.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-III/IV and Add-On Post Diploma/Addtional (If already enrolled)	1150/-	1300/-	1580/-
6.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. Pt-III (Ord. 169 E)	---	1520/-	1580/-
7.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-III/IV (With due paper of Pt-I)	1430/-	1660/-	2130/-
8.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-III/IV (With due paper of Pt-II)	1450/-	1680/-	2170/-
9.	B.A./B.Sc./B.Com/BCA/BBA/B.Sc. (Bio-Tech)/B.Sc. Home Sc. /Hons/BVA/BPA Pt-III (With due paper of Pt-I & II)	1740/-	2040/-	2720/-
10.	BVA/BPA Pt-IV (With due paper of Pt-I, II & III)	1740/-	2040/-	-
11.	**Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)**	**250/-**	**300/-**	**600/-**

II- FEE PAYABLE FOR PG COURSES EXAM. 2015 WITH SINGAL FEE:-

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student	Non-Collegiate
1.	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.)/All (PG) Diploma and DCWA (If already Enrolled)	980/-	1120/-	1400/-
2.	M.A./M.Sc./M.Com (Prev.) and All (PG) Diploma (If Not Enrolled)	1180/-	---	1600/-
3.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final)/Addl/DCWA Pt-II/III/ Ord. 169/E-(1)/0.215/0.238/0.250	1280/-	1420/-	1690/-
4.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (With due papers of Prev. /Ord.169-E(11)	1670/-	1840/-	2470/-
5.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (Due Papers of Final only)	--	960/-	1690/-
6.	M.A./M.Sc./M.Com.(Final) (Due Papers of Prev. only)	--	910/-	1690/-
7.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 169-D)	--	2270/-	2470/-
8.	M.A./M.Sc./M.Com. (Under Ord. 179)	--	---	2630/-
9.	**Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)**	400/-	450/-	650/-

III- FEE PAYABLE FOR PROFESSIONEL COURSES EXAM. 2015 WITH SINGAL FEE:-

S.No.	Name of Exam	Regular	Ex-Student
1.	Certificate Course in Yoga Edu./D.Lib. & Info. Sc.	880/-	950/-
2.	B.Lib. & Info. Sc.	1190/-	1260/-
3.	B.P.Ed.	1580/-	1650/-
4.	M.J.M.C. (Previous)	1110/-	1180/-
5.	M.J.M.C. (Final)/P.G. Dip. In Yoga Ed./P.G. Dip. In Dramatics	1190/-	1260/-
6.	**Fees for Physically Challanged Students (for above all categries)**	400/-	450/-

कृ.पृ.उ. ..3

IV-Candidate Note Enrolled with the University will have to pay the following fees also:-

S.No.	Enrollment Fee	Eligibility Fee (For those candidates who have passed their qualifying exam. from other than the Board of Sec. Edu. Rajasthan)
1	Rs. 100/-	Rs. 100/-

(V) प्रत्येक नियमित छात्र द्वारा विकास शुल्क रू. 50/- तथा स्पोटर्स् बोर्ड शुल्क रू. 50/- संबंधित महाविद्यालय को उपरोक्तानुसार दर्शाए परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पृथक से देय होगा।

(VI) शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबधं में कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि मेडीकल ऑफीसर से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

(VII) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबन्धित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जावे।

13. जिन छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रखा है तथा उनका पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित नहीं हुआ है, ऐसे छात्र जिस कक्षा के लिए पात्रता रखते हैं, उस कक्षा के लिए निर्धारित समय अवधि में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें। पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् यदि इनका परिणाम परिवर्तित होता है तो परीक्षा फार्म को अगली उच्च कक्षा में परिवर्तित करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा भरकर बकाया शुल्क तथा अंकतालिका की प्रति सहित विश्वविद्यालय में जमा करावे। निर्धारित समय अवधि के पश्चात् परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

14. निम्नलिखित श्रेणी के छात्रों द्वारा वेबसाईट पर फ्रेश फार्म भरना होगा:-

(i) समस्त स्नातक (पास/आनर्स) पार्ट-I/स्नातकोत्तर (प्रीवियस-वार्षिक पद्धति) नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी तथा बी.सी.ए./बी.एस.सी.(बायोटैक)/होमसाईंस/बी.म्यूजिक/विज्यूअल आर्टस् पार्ट-I/समस्त एक वर्षीय सर्टीफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा/एड ऑन कोर्सेज/स्नातक (एडिशनल) तथा स्नात्तक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान।

(ii) जो छात्र अन्तराल के कारण गत वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनका मुख्य परीक्षा 2014 का Roll No नहीं होगा। अतः उन्हें नया आवेदन-पत्र भरना होगा। वे सम्बन्धित कक्षा का चयन करने के पश्चात् जो आवेदन-पत्र खुलता है, उसमें सभी प्रविष्टियों को अपने स्तर पर भरकर Print पर क्लिक कर दो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र की प्रिन्ट करें तथा आवश्यक दस्तावेजो की फोटो प्रति सहित सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करावें।

(iii) श्रेणी बदलकर नियमित/पूर्वछात्र से स्वयंपाठी अथवा स्वयंपाठी से नियमानुसार नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने वाले छात्र।

(iv) विश्वविद्यालय अधिनियम 153-बी (तीन साल का अन्तराल) के तहत स्नातक स्तर में आवेदन करने वाले समस्त परीक्षार्थी- (इस प्रावधान के अनुसार 2011 या उससे पूर्व के वर्षों की परीक्षा में उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण छात्र उसी परीक्षा हेतु फ्रेश परीक्षा फार्म भरेगें)। इस नियम के तहत पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।

(v) <u>**श्रेणी सुधार-**</u> विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई के तहत स्नातक स्तर की पार्ट-I, II, III परीक्षा-2014 में सम्पूर्ण विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में श्रेणी सुधार हेतु फ्रेश परीक्षा आवेदन पत्र डाउनलोड करें। इस प्रावधान के तहत प्रायोगिक परीक्षा (यदि कोई हो) भी पुनः देनी होगी। परीक्षा फार्म के साथ मूलअंकतालिका संलग्न करें।

15. समस्त स्नातक (पास/आनर्स) पार्ट-II/III/स्नातकोत्तर (फाईनल-वार्षिक पद्धति) नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थी तथा बी.बी.ए. (पार्ट-II/III के पूर्वछात्र), बी.बी.ए. पार्ट-III (वार्षिक पद्धति)/बी.सी.ए. (पार्ट-II/III)/बी.पी.ए./विज्यूअल आर्टस् (पार्ट-II/III/IV)/डी.सी.डबल्यू.ए. (पार्ट-II/III) तथा बी.एच.एम.सी.टी. के परीक्षार्थी जो विश्वविद्यालय की परीक्षा 2014 में सम्मिलित हुये थे उनके परीक्षा फार्म वेबसाईट पर उनके पुराने अनुक्रमांक (रोल नं.) से उपलब्ध होगें। जिन छात्रों के फार्म किसी कारणवश रोल नं. से उपलब्ध नहीं हो सकें, वे फ्रेश फार्म भरें।

16. स्नात्तक कला में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने की अनुमति नहीं है। हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ परसियन विषय का चयन नहीं कर सकते हैं।

17. पुरूष परीक्षार्थियों को गृह-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

18. स्वयंपाठी परीक्षार्थीयों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी:- टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल ड्रोईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, ड्राईंग एण्ड पेटिंग, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन (अधिनियम 175)। बी.ए. (आनर्स) पाठ्यक्रम स्वयंपाठी छात्रों के लिए चयन की अनुमति नहीं है।

19. एम.ए./एम.एससी. (वार्षिक पद्धति) भूगोल तथा गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते है।

20. <u>**श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान :-**</u>

(i) विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई-(i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2014 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु आवेदन करना चाहते है उन्हें (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र) सभी प्रश्न-पत्रों में आवेदन करने के लिये **फ्रेश फार्म डाउनलोड़ करना होगा।**

(ii) विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई-(ii) - स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उतरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2014 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र में अंक सुधार हेतु आवेदन कर सकते है। उत्तरार्द्ध में उत्तीर्ण परीक्षार्थी **फ्रेश फार्म डाउनलोड़ करें।**

कृ.पृ.उ. ..4

(iii) विश्वविद्यालय अधिनियम 169-डी - राजस्थान विश्वविद्यालय से पिछले वर्षो में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत पूर्वार्द्ध और उतरार्द्ध के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे **फ्रेश फार्म डाउनलोड़ करें।**

(iv) एम.ए./एस.एस.सी. के नियमित परीक्षार्थी को अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्वछात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थियों को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम 179 - राजस्थान विश्वविद्यालय के अलावा अन्य मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षो में एम.ए. /एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाईनल के सभी विषयों में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में बैठना चाहते हैं, वे **फ्रेश फार्म डाउनलोड़ करें।**

इन प्रावधानों के तहत श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले परीक्षार्थियों के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम (Syllabus) लागू होगा।

21. **विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालयों की सूची एवं गत वर्ष के स्वयंपाठी परीक्षा केन्द्रों की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध है। परीक्षार्थीयों को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने सम्बन्धी सूचना उनके प्रवेश पत्र पर उपलब्ध कराई जायेगी।**

22. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने सम्बन्धी समस्त जानकारियाँ जैसे दिशा निर्देश, परीक्षा फीस का विवरण एवं महाविद्यालयों संबंधी सूचना वेबसाइट **www.uniraj.ac.in**, **www.univexam.com**, **www.univraj.org** एवं **www.univexam.in** पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी पूर्ण रूपेण सही भरे हुये परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी दो प्रतियों में परीक्षा फीस की रसीद सहित, अन्तिम तिथी से अगले दो कार्य दिवस में सम्बन्धित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करायें। ऐसे छात्र जो ई-मित्र के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फार्म संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। **शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।**

23. **परीक्षार्थी ध्यान रखें- किसी भी परिस्थिति में डाक द्वारा सीधे विश्वविद्यालय को परीक्षा फार्म प्रेषित नहीं करें। अन्यथा ऐसे फार्म निरस्त कर दिए जाऐगें।**

Sd/-
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक/परीक्षा-2015/ 9010-9109 दिनांक: 30/9/14

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य संघटक महाविद्यालय/प्राचार्य सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर/छात्र परामर्श केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति एवं परीक्षा केन्द्र सूची को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
3. प्रशासनिक सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियत्रंक एवं वित्तिय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सचिव, सूचना प्रोधौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, MD, RISL, राजस्थान सरकार, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
7. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त अनुभाग अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

30.9.14.
सहायक कुलसचिव (परीक्षा -IV)